राजस्थान सरकार
श्रम विभाग

क्रमांकः–एफ.14(13)(1)चुनाव / श्रम / विधि / 2015 / पार्ट–1 / 33117 जयपुर, दिनांकः 12.10.2021

आदेश

राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान द्वारा राज्य के पंचायती राज संस्थाओं में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर मतदान की तिथि क्रमशः दिनांक 20.10.2021, 23.10.2021 एवं 26.10.2021 निश्चित की गई है। (कार्यक्रम की प्रति संलग्न है)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135(ख) के अनुसार मतदान के दिन किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा / विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवेतनिक अवकाश मंजूर किया जावेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135 (ख) के प्रावधान राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 22 के अनुसार पंचायतीराज संस्थानों के चुनावों के सम्बन्ध में भी लागू होते हैं। धारा 135 ख निम्न उद्धृत है:–

"<u>135 ख– *मतदान के दिन कर्मचारियों को सवेतन अवकाश की मंजूरी*–</u>

(1) किसी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम अथवा अन्य किसी स्थापन में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, जो लोकसभा या किसी राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन में मतदान करने का हकदार है, मतदान के दिन अवकाश मंजूर किया जावेगा।

(2) उपधारा (1) के अनुसार अवकाश मंजूर किए जाने के कारण किसी ऐसे व्यक्ति की मजदूरी से कोई कटौती या उसमें कोई कमी नहीं की जाएगी और यदि ऐसा व्यक्ति इस आधार पर नियोजित किया जाता है कि उसे सामान्यतया किसी ऐसे दिन के लिए मजदूरी प्राप्त नहीं होगी तो इस बात के होते हुए भी, उसके ऐसे दिन के लिए वह मजदूरी संदत्त की जाएगी, जो उस दिन उसे अवकाश मंजूर न किए जाने की दशा में दी गई होती ।

(3) यदि कोई नियोजन उपधारा (1) या उपधारा (2) के उपबन्धों का उल्लंघन करेगा, तो ऐसा नियोजन जुर्माने से, जो 500 / –तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

(4) यह धारा किसी ऐसे निर्वाचक को लागू नहीं होगी जिसकी अनुपस्थिति से उस नियोजन के सम्बन्ध में जिसमें वह लगा हुआ है, कोई खतरा या सारवान हानि हो सकती है।"

अतः राज्य सरकार सम्बन्धित पंचायतीराज संस्थाओं के निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित औद्योगिक / वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के नियोजकों को उनके क्षेत्र में 'मतदान दिवस' क्रमशः दिनांक 20.10.2021, 23.10.2021 एवं 26.10.2021 के लिए उनके संस्थान में कार्यरत सभी कामगारों को, जिनमें आकस्मिक कामगार भी सम्मिलित है, सवैतनिक अवकाश प्रदान करने हेतु विनिर्दिष्ट करती है ताकि उनके द्वारा मतदान के अधिकार का स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

श्रम आयुक्त
राजस्थान, जयपुर

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)
(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांकःएफ. 7(1)(1) / पंचा / रानिआ / 2020 / III / 5097 दिनांकः 12/10/2021

प्रतिलिपि जिला निर्वाचन अधिकारी, (कलक्टर) अलवर एवं धौलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

उपसचिव
राज्य निर्वाचन आयोग